## डिस्कलेमर

**परामर्श पत्र  संख्या 25/2021-22 के मुख पृष्ठ, हितधारकों की टिप्पणियां और हितधारकों के परामर्श की समय-सीमा संबंधी अध्यायों का हिंदी अनुवाद संलग्न है। इस हिंदी पाठ के अंतर्गत दी गई किसी भी व्याख्या या अर्थ के संदर्भ में कोई भी भ्रांति या संदेह होने पर कृपया अंग्रेजी पाठ को ही प्रामाणिक माना जाए।**

फाइल संख्या ऐरा/20010/एमवाईटीपी/एएआई-कोलकाता/ सीपी -III/2021-26

परामर्श पत्र संख्या 25/ 2021-22

सत्यमेव जयते

# भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण

## नेताजी सुभाष चन्द्र बोस अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डा, कोलकाता (सीसीयू) के लिए तृतीय नियंत्रण अवधि (01.04.2021 से 31.03.2026) के लिए वैमानिक टैरिफ के निर्धारण के मामले में

**जारी करने की तारीख : 29 दिसम्बर, 2021**

**ऐरा भवन**
**प्रशासनिक कॉम्पलेक्स**
**सफदरजंग हवाईअड्डा**
**नई दिल्ली – 110003**

## हितधारकों की टिप्पणियां

प्राधिकरण को ज्ञात है कि वर्ष 2020 के प्रारंभिक महीनों से विमानन क्षेत्र संक्रामक रोग की दूसरी लहर के कारण अत्यधिक अस्त-व्यस्त और अनिश्चितता के दौर से गुजर रहा है और विमानन उद्योग पर इसका यह प्रभाव पड़ा है कि विश्व भर में अंतरदेशीय और अंतरराष्ट्रीय दोनों हवाई यात्राओं पर रोक लगी हुई है। प्राधिकरण तृतीय नियंत्रण अवधि के लिए टैरिफ का अनुमोदन और इन्हें लागू करने में विलंब न होने देने के लिए तत्पर है एवं इस कारण से प्राधिकरण ने यह परामर्श पत्र इस समय जारी किया है, जिसमें हवाईअड्डा प्रचालक द्वारा प्रस्तुत **बहुवर्षीय टैरिफ प्रस्ताव ('एमवाईटीपी')** के संबंध में प्राधिकरण के विश्लेषण और अवलोकनों के आधार पर प्रस्ताव पेश किए गए है।

प्राधिकरण ने **कोविड -19** महामारी के संदर्भ में इस मामले के संबंध में वर्तमान में उपलब्ध संपूर्ण जानकारी, हवाईअड्डा प्रचालकों, आईएटीए, एसीआई, फिक्की आदि जैसे उद्योग निकायों से प्राप्त मतों पर विचार करने के बाद तथा विभिन्न परिदृश्यों का विश्लेषण करने के बाद कारोबार संबंधी वर्तमान परिदृश्य में संभावित परिवर्तनों और अनिश्चिचताओं की वजह से यातायात और अन्य विनियामक बिल्डिंग ब्लॉकों में आवश्यक संशोधनों की समीक्षा की है। परंतु हितधारकों से प्राप्त महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर विचार करने के बाद ही इन समायोजनों को अंतिम रूप दिया जाएगा।

इस परामर्श पत्र के लिए प्राधिकरण ने द्वितीय नियंत्रण अवधि (वित्त वर्ष 2016-17 से वित्त वर्ष 2019-20) के प्रथम चार वर्षों के वास्तविक लेखा परीक्षित वित्तीय निष्कर्षों और वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वानुमानो को मान लिया है। चूंकि ऐरा टैरिफ निर्धारण का यह कार्य वास्तविक समय में कर रहा है, इसलिए इस स्तर पर वित्त वर्ष 2020-21 के आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं। प्राधिकरण परामर्श प्रक्रिया के दौरान हवाईअड्डा प्रचालक से लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण प्राप्त होने पर वित्त वर्ष 2020-21 के वास्तविक वित्तीय निष्कर्षों को मानेगा और टैरिफ आदेश में इसकी वजह से उपयुक्त ढंग से आवश्यक समायोजन करेगा। यदि हवाईअड्डा प्रचालक वित्त वर्ष 2020-21 के लेखा परीक्षित वित्तीय निष्कर्ष उपलब्ध नहीं करता है तो प्राधिकरण टैरिफ आदेश में वित्त वर्ष 2020-21 के पूर्वानुमानों में उपयुक्त परिवर्तन करेगा।

प्राधिकरण परामर्श पत्र में दिए गए प्रस्तावों पर सभी हितधारकों के लिखित साक्ष्य आधारित फीडबैक, टिप्पणयों और सुझावों पर विचार करेगा और वैमानिक हवाईअड्डा सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करते हुए उपयुक्त आदेश जारी करेगा।

इसलिए ऐरा अधिनियम की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार दिनांक 29 दिसम्बर, 2021 के परामर्श पत्र संख्या 25/2021-22 पर हितधारकों से लिखित टिप्पणियां अधिमानत: इलैक्ट्रॉनिक रूप में निम्नलिखित पते पर आमंत्रित की जाती है:

निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ)
भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (ऐरा)
प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,
नई दिल्ली-110003, भारत
ई-मेल director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in, प्रतिलिपि secretary@aera.gov.in

| | |
|---|---|
| हितधारकों की परामर्श बैठक | 12/01/2022 |
| हितधारकों की टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 28/01/2022 |
| जवाबी टिप्पणियां प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि | 08/02/2022 |

टिप्पणियां एवं जवाबी टिप्पणियां ऐरा की वेबसाइट www.aera.gov.in पर डाली जाएंगी।

किसी भी स्पष्टीकरण/सूचना के लिए निदेशक (नीति एवं सांख्यिकी, टैरिफ) से दूरभाष संख्या +91-11-24695048 पर संपर्क कर सकते हैं:

## 16 *हितधारकों परामर्श की समय-सीमा*

16.1.1. ऐरा अधिनियम, 2008 की धारा 13(4) के प्रावधानों के अनुसार प्राधिकरण के विश्लेषण के साथ पठित प्रस्तावों के सार (उपर्युक्त अध्याय 15) में निहित प्रस्ताव एतद् द्वारा हितधारकों के परामर्श के लिए प्रस्तुत है। हितधारकों की सार्थक और रचनात्मक ढंग से प्रस्तुति करने में उनकी सहायता करने के लिए परामर्श पत्र में आवश्यक दस्तावेज (संलग्नक -I और VI) लगाए गए हैं।

16.1.2 संदेह दूर करने के लिए स्पष्ट किया जाता है कि इस परामर्श पत्र की विषय- वस्तु का प्राधिकरण के किसी आदेश या निदेश की तरह अर्थ न लगाया जाए। प्राधिकरण इस मामले के जवाब में हितधारकों की प्रस्तुतियों पर विचार करने के बाद और अधिनियम के प्रावधानों के संदर्भ में टैरिफ आदेश में पूर्ण रूप से लिखित रूप से प्रमाणित तथा स्पष्ट निर्णय करने के बाद ही इस मामले में आदेश जारी करेगा।

16.1.3 प्राधिकरण उपर्युक्त अध्याय 15 में दिए गए प्रस्ताव पर हितधारकों के लिखित साक्ष्य-आधारित फीडबैक, टिप्पणियों और सुझावों का स्वागत करता है, जिन्हें अधिक से अधिक 28.01. 2022 तक भेज दिया जाए।

**सचिव,**
**भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण**
**ऐरा भवन, प्रशासनिक परिसर, सफदरजंग हवाईअड्डा,**
**नई दिल्ली –110003.**
**ई-मेल :** secrtary@aera.gov.in , director-ps@aera.gov.in, rajan.gupta1@aera.gov.in
**टेलिफोन : 011-24695043 ; फैक्स 011-24695039**

**(अध्यक्ष)**